न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 73/अ-59/2017-18/ 5864 बैतूल दिनांक 9/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत चाँदबेहड़ा जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम सेन्दूरजना तहसील बैतूल में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, ग्राम सेन्दूरजना तहसील स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर मद पहाड़-चट्टान को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा सेन्दूरजना तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर मद पहाड़-चट्टान को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 13-02-2017 को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव क्रमांक- 05 पारित किया जाकर, ग्राम सून्दूरजना में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, ग्राम के खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान के मद परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा सेन्दूरजना तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 मे भी उक्त खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)- वनमण्डलाधिकारी पश्चिम(सा.) बैतूल वनमण्डल के पत्र क्रमांक:- 1237 दिनांक 20-4-2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा सेन्दूरजना तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर भूमि किसी वनखण्ड में शामिल नहीं है।

(5)- नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, मौजा मौजा सेन्दूरजना तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है ।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सेन्दूरजना तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 196 रकबा 0.239 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 73/अ-59/2017-18/ 5864 बैतूल दिनांक 9/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार बैतल(खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत चाँदबेहड़ा जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.